

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 4096  
ग्रा०वि० 8 (न्याय)-20/2006

दिनांक:- 11/5/07

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,  
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- ग्रामीण विकास योजना अन्तर्गत बैंक में जमा राशि की चेक द्वारा निकासी की प्रक्रिया के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 13790 दिनांक 12.12.2006

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगाधीन विषय पर कहना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 54 (ज) (5) एवं 88 (1) (ड०) में निहित प्रावधानों के आलोक में एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 11896/06 विनय वर्द्धन वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.4.2007 को पारित आदेश, प्रतिलिपि संलग्न, के आलोक में निर्णय लिया गया कि बैंक में जमा राशि की निकासी जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (उप विकास आयुक्त) तथा प्रखंड स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के एकल हस्ताक्षर से की जाएगी । इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 13790 दिनांक 12.12.2006 को रद्द समझा जाए ।

इस आदेश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित किया जाय तथा सभी संबंधितों के बीच इसे परिचारित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,  
अनु०/११/०७  
(अनूप मुखर्जी)  
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक:- 4096 दिनांक:- 11/5/07  
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।  
अनु०/११/०७